करेंट अफेयर्स हरियाणा

(संग्रह)

मई 2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा **3**

- ग्रेटर रैकेट-टेल्ड ड्रोंगो 3
- पानी बँटवारे को लेकर विवाद 4
- जल संसाधन एटलस 2025 5
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने की चेतावनी 7
- अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 9
- हरियाणा एआई विकास परियोजना 10
- भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश 11
- हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के प्रयास 12
- पराली जलाने से निपटने के लिये CAQM की कार्य योजना 13
- इंडियन ग्रे वुल्फ 15

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

हरियाणा

ग्रेटर रैकेट-टेल्ड ड्रोंगो

चर्चा में क्यों?

हरियाणा के गुरुग्राम के झांझरोला में एक ग्रेटर रैकेट-टेल्ड ड्रोंगो **(डिक्रुरस पैराडाइसस)** देखा गया, जो ज़िले में इस पक्षी का पहला दर्ज किया गया दृश्य है।

मुख्य बिंदु

- **ग्रेटर रैकेट-टेल्ड ड्रोंगो के बारे में:**

  - यह एक **मध्यम आकार का पक्षी है, जो एशिया में पाया जाता है** तथा यह **लंबी बाहरी पूँछ के पंखों के कारण प्रसिद्ध है, जिनके सिरे** पर जाल होता है।
  - यह प्रकृति में दिनचर है, लेकिन **सुबह होने से पहले और शाम के बाद सक्रिय रहता है।**
- **स्वर क्षमताएँ::**
  - यह विभिन्न प्रकार की **तेज़ आवाज़ों** को निकालने के लिये प्रसिद्ध है और **अन्य पक्षियों की आवाज़ों की सटीक नकल** करने की क्षमता भी रखता है।
- **भारत में वितरण:**
  - **यह** मिश्मी पहाड़ियों सहित पश्चिमी से पूर्वी हिमालय तक पाया जाता है।
  - यह प्रायद्वीपीय भारत और पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में भी निवास करता है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - आईयूसीएन रेड लिस्ट स्थिति **: कम चिंताजनक**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 : अनुसूची IV
- **प्रवास संबंधी प्रवृत्ति:**
  - यह प्रजाति सामान्यत: हिमालय **की तराई और नमी वाले सघन वनों** में पायी जाती है।
  - यह पक्षी सामान्यत: **नीचे के क्षेत्रों में नहीं आता**, केवल **ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी** के दौरान कुछ हद तक नीचे की ओर आता है।
  - यह एक **ऊँचाई आधारित प्रवासी (altitudinal migrant)** पक्षी है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आमतौर पर दिखाई नहीं देता।

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) रेड लिस्ट:

- IUCN रेड लिस्ट **जानवरों, कवक और पौधों की प्रजातियों के बीच विलुप्त होने के जोखिम** का आकलन करने के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण वैश्विक संसाधन है।
- सभी के लिये सुलभ, यह वैश्विक जैवविविधता स्वास्थ्य के एक महत्त्वपूर्ण संकेतक के रूप में कार्य करता है, यह प्रजातियों की विशेषताओं, खतरों और संरक्षण उपायों में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है तथा सूचित संरक्षण निर्णयों एवं नीतियों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- IUCN रेड लिस्ट श्रेणियाँ मूल्यांकन की गई प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम को परिभाषित करती हैं। **नौ श्रेणियाँ NE (मूल्यांकित नहीं) से EX (विलुप्त) तक फैली हुई हैं।** गंभीर रूप से **लुप्तप्राय (CR), लुप्तप्राय (EN) और कमज़ोर (VU) प्रजातियों** को विलुप्त होने का खतरा माना जाता है।
- यह **सतत विकास लक्ष्यों** और **Aichi लक्ष्यों** के लिये भी एक प्रमुख संकेतक है।
- IUCN रेड लिस्ट में **प्रजातियों की IUCN हरित** स्थिति शामिल है, **जो प्रजातियों की आबादी की पुनर्प्राप्ति का आकलन** करती है और उनके संरक्षण की सफलता को मापती है।
  - **ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज़ की आठ श्रेणियाँ हैं जैसे:** जंगल में विलुप्त, गंभीर रूप से समाप्त, बड़े पैमाने पर समाप्त, मध्यम रूप से समाप्त, थोड़ा समाप्त, पूरी तरह से पुन: प्राप्त, गैर समाप्त और अनिश्चित।
- **ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज़** यह मूल्यांकन करती हैं कि संरक्षण कार्यों ने वर्तमान रेड लिस्ट स्थिति को कैसे प्रभावित किया है।

पानी बँटवारे को लेकर विवाद

चर्चा में क्यों?

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) द्वारा हरियाणा को पानी छोड़ने का निर्णय लेने के बाद **पंजाब और हरियाणा के बीच जल बँटवारे को लेकर विवाद हो गया।**

मुख्य बिंदु

- **BBMB का पानी छोड़ने का निर्णय:**
  - 30 अप्रैल को BBMB ने हरियाणा को 8,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्णय लिया था।
  - यह निर्णय गर्मियों में पेयजल की बढ़ती मांग को देखते हुए लिया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- BBMB भाखड़ा, पोंग और रणजीत सागर बाँधों **से पानी का प्रबंधन करता है** तथा पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान को सिंचाई व अन्य उपयोगों के लिये पानी की आपूर्ति करता है।

- **पंजाब में जल बँटवारे के दुरुपयोग के आरोप:**
  - पंजाब के मुख्यमंत्री के अनुसार, हरियाणा ने अपना वार्षिक जल कोटा (21 मई से 20 मई चक्र) मार्च 2025 तक समाप्त कर दिया है।
  - उन्होंने हरियाणा पर यह आरोप लगाया कि वह अब पंजाब के हिस्से के पानी पर कब्ज़ा करने का प्रयास कर रहा है।
  - उन्होंने कहा कि पंजाब की BBMB में 60% हिस्सेदारी है और उसकी सहमति के बिना पानी छोड़ना "तानाशाही और अलोकतांत्रिक" है।

भाखड़ा नांगल बाँध

- भाखड़ा बाँध सतलुज नदी पर बना एक कंक्रीट गुरुत्व बाँध है तथा यह उत्तर भारत में **पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है** ।
- यह बाँध 225.55 मीटर ऊँचाई के साथ टिहरी बाँध (261 मीटर) के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊँचा बाँध है।
- इसका जलाशय, **जिसे "गोबिंद सागर "** के नाम से जाना जाता है, में 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी संगृहीत है।
- **नांगल बाँध** भाखड़ा बाँध के नीचे की ओर एक और बाँध है। कभी-कभी दोनों बाँधों को एक साथ भाखड़ा-नांगल बाँध कहा जाता है, हालाँकि वे दो अलग-अलग बाँध हैं।

पोंग बाँध

- **वर्ष 1975 में** ब्यास नदी पर पोंग बाँध बनाया गया था। इसे पोंग जलाशय या **महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है।**
- **वर्ष 1983 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा** पूरे जलाशय को **वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था।**
- **वर्ष 1994 में** भारत सरकार ने इसे **"राष्ट्रीय महत्त् की आर्द्रभूमि" घोषित किया।** नवंबर 2002 में पोंग डैम झील को **रामसर साइट** घोषित किया गया।

जल संसाधन एटलस 2025

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण (HWRA) ने **हरियाणा जल संसाधन एटलस 2025** लॉन्च किया है, जो एक AI-संचालित भू-स्थानिक मंच है और राज्य में तेज़ी से घटते **जल भंडार** की निगरानी, प्रबंधन और संरक्षण के लिये उपयोग किया जाता है।

मुख्य बिंदु

- **एटलस की मुख्य विशेषताएँ:**
  - HWRA **ने** हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (HARSAC) के सहयोग से एटलस विकसित किया है।
  - यह मंच सार्वजनिक रूप से सुलभ है और निम्नलिखित विषयों पर वास्तविक समय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है:
    - भूजल स्तर और जलभृत

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- सतही जल निकाय और नहर प्रणालियाँ
- पुनर्भरण क्षेत्र और जल-प्रधान फसल पैटर्न

◆ यह **इंटरैक्टिव विषयगत मानचित्र और डैशबोर्ड प्रदान करता है।**

◆ यह **ज़िला और ब्लॉक स्तर पर जल संकट पर नज़र रखता है तथा अत्यधिक निकासी वाले क्षेत्रों** और अनियमित वर्षा वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।

- **पहल के पीछे की तात्कालिकता:**

◆ आंतरिक आकलन से पता चलता है कि हरियाणा के 76 प्रतिशत से अधिक प्रशासनिक ब्लॉक **भूजल** उपयोग की दृष्टि से **या तो "गंभीर" हैं या "अत्यधिक दोहन " वाले हैं।**

◆ इस मंच का उद्देश्य प्रशासनिक और ज़मीनी स्तर पर **डाटा-संचालित हस्तक्षेप को मज़बूत बनाना है।**

- **डाटा स्कोप और अद्यतन चक्र:**

◆ अधिकांश मुख्य डाटासेट (जैसे भूजल की गहराई और मृदा संरचना) को वार्षिक रूप से संशोधित नहीं किया जाएगा।

◆ ऐसे मापदंडों को आमतौर पर एक दशक में एक बार अपडेट करने की आवश्यकता होती है, जिससे **डाटा नवीनीकरण के मामले में प्लेटफॉर्म का रखरखाव कम हो जाता है।**

◆ एटलस में निम्नलिखित से डाटा एकीकृत किया गया है:

- उपग्रह अवलोकन और **जी.पी.एस. सर्वेक्षण**
- मौसम संबंधी जानकारी और कृषि रिकॉर्ड
- केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), सिंचाई विभाग और कृषि विभाग।

◆ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों ने सटीकता और परिचालन प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिये डाटा को मान्य किया है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB)

- **जल संसाधन मंत्रालय,** भारत सरकार के तहत **CGWB** भारत में भूजल संसाधनों के **प्रबंधन, अन्वेषण, निगरानी, मूल्याँकन और विनियमन** के लिये सर्वोच्च निकाय है।

◆ **वर्ष** 1970 में स्थापित, CGWB का गठन आरंभ में **अन्वेषणात्मक नलकूप संगठन** का नाम बदलकर किया गया था और बाद में **वर्ष** 1972 में इसे **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूजल विंग** के साथ विलय कर दिया गया।

◆ **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986** के तहत गठित **केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA)** भूजल विकास को विनियमित करता है ताकि इसकी स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

- **प्रमुख कार्य और ज़िम्मेदारियाँ:** CGWB भूजल प्रबंधन के लिये वैज्ञानिक विशेषज्ञता प्रदान करता है, जिसमें अन्वेषण, निगरानी और जल गुणवत्ता आकलन शामिल हैं।

◆ यह भूजल स्तर को बढ़ाने के लिये **कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन** की योजनाओं को भी क्रियान्वित करता है।

- **वैज्ञानिक रिपोर्ट:** CGWB राज्य और ज़िला जल-भूवैज्ञानिक रिपोर्ट, भूजल वर्ष पुस्तकें और एटलस जारी करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारत मौसम विज्ञान विभाग क्या है ?

- **परिचय:**
  - IMD की **स्थापना 1875** में हुई थी। यह देश की **राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा** है और **मौसम विज्ञान एवं संबद्ध विषयों से संबंधित** सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है।
  - यह भारत सरकार के **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी** के रूप में कार्य करती है।
  - IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन के **छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों** में से एक है।
- **उद्देश्य:**
  - कृषि, सिंचाई, नौवहन, विमानन, अपतटीय तेल अन्वेषण आदि जैसी मौसम-संवेदनशील गतिविधियों के इष्टतम संचालन के लिये मौसम संबंधी अवलोकन करना और **वर्तमान एवं पूर्वानुमानित मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करना।**
  - उष्णकटिबंधीय चक्रवात, नॉर्थवेस्टर, धूल भरी आँधी, भारी बारिश और बर्फ, ठंड तथा ग्रीष्म लहरें आदि जैसी **गंभीर मौसम की घटनाओं,** जो जीवन एवं संपत्ति के विनाश का कारण बनती हैं, **के प्रति चेतावनी देना**।
  - **कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, उद्योगों, तेल की खोज** और अन्य राष्ट्र-निर्माण गतिविधियों **के लिये आवश्यक मौसम संबंधी आँकड़े** प्रदान करना।
  - मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों में अनुसंधान का संचालन एवं प्रचार करना।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने की चेतावनी

चर्चा में क्यों ?

6 मई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय **ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा** सरकारों को NCR क्षेत्रों में **पटाखों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने** का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि इसका पालन न करने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- **न्यायालय द्वारा निर्देश:**
  - न्यायालय ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे इस प्रतिबंध को लागू करने के लिये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA) **की धारा 5** के तहत निर्देश जारी करें।
  - धारा 5 द्वारा **केंद्र सरकार** को पर्यावरण संरक्षण के लिये किसी प्राधिकरण या अधिकारी को निर्देश देने का अधिकार दिया गया है।
  - न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि न्यायालय के पूर्व आदेशों और EPA निर्देशों को राज्य की विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सख्ती से लागू किया जाना चाहिये।
- **सख्त कार्यान्वयन:**
  - न्यायालय द्वारा प्रतिबंध के "ईमानदारी से कार्यान्वयन" पर बल देते हुए राज्यों से समर्पित प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने को कहा गया।
  - इसने चेतावनी दी कि आदेशों को लागू करने में अधिकारियों या प्राधिकारियों की किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत अवमानना की कार्यवाही हो सकती है।
  - पीठ ने NCR **से संबंधित सभी राज्यों को अनुपालन हलफनामा प्रस्तुत करने** तथा प्रतिबंध से संबंधित दंड को सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- पूर्व के निर्देश:
  - **दिसंबर 2024** में, न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा को अगले आदेश तक **पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध** लगाने का निर्देश दिया था।
    - इसके द्वारा स्वीकार किया गया कि दिल्ली में ऑनलाइन डिलीवरी सहित पटाखों से संबंधित सभी गतिविधियों पर **पूरे वर्ष प्रतिबंध** लागू किया गया।
  - पीठ ने **NCR में इसके प्रवर्तन में एकरूपता** का आह्वान किया तथा कहा कि राजस्थान ने पहले ही अपने NCR क्षेत्रों में इसी प्रकार का प्रतिबंध लागू किया है।
    - न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि प्रतिबंध तभी प्रभावी होंगे जब सभी NCR राज्य उन्हें एक साथ लागू करेंगे।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम

- **परिचय:**
  - इसे **पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार** के उद्देश्य से **वर्ष 1986 में अधिनियमित** किया गया था।
  - यह विधेयक **केंद्र सरकार** को सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण को रोकने तथा देश के विभिन्न भागों की विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के क्रम में प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।
  - यह अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के उद्देश्य से बनाए गए **सबसे व्यापक कानूनों** में से एक है।
- **पृष्ठभूमि:**
  - EPA, **जून 1972 में स्टॉकहोम** में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (स्टॉकहोम सम्मेलन) से प्रेरित है, जिसमें भारत ने पर्यावरण के सुधार के लिये उचित कदम उठाने हेतु भाग लिया था।
    - यह अधिनियम स्टॉकहोम सम्मेलन में लिये गए **निर्णयों को क्रियान्वित** करने पर केंद्रित है।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - EPA अधिनियम भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 253** के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था, जिसके तहत **अंतर्राष्ट्रीय समझौतों** को प्रभावी बनाने के क्रम में विधि निर्माण का प्रावधान शामिल है।
  - संविधान के अनुच्छेद 48A में निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य, पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के साथ देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा।
  - अनुच्छेद 51A में प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा।

न्यायालय की अवमानना

- **परिचय:**
  - न्यायालय की अवमानना संबंधी प्रणाली का आशय न्यायिक संस्थाओं को **अनुचित आलोचना** से बचाने के साथ इसके अधिकार को कम करने वालों को दंडित करना है।
- **वैधानिक आधार:**
  - संविधान को अपनाने के दौरान न्यायालय की अवमानना को **भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आरोपित प्रतिबंधों** में से एक के रूप में शामिल किया गया था।
  - इसके अलावा, **संविधान के अनुच्छेद 129 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिये** दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालयों को इसी प्रकार की शक्ति प्रदान की गई है।
  - **न्यायालय अवमान अधिनियम,** 1971 द्वारा इसको **वैधानिक समर्थन** मिलता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025

चर्चा में क्यों ?

भारतीय वायु सेना ने चंडीगढ़ के रघबीर सिंह भोला हॉकी स्टेडियम में 29 अप्रैल से 06 मई 2025 तक **मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट** के **छठे संस्करण का** आयोजन किया।

प्रमुख बिंदु

- **टूर्नामेंट का विवरण:**
  - इस **टूर्नामेंट** में वायु सेना हॉकी टीमों और दो अन्य देशों की टीमों सहित **बारह टीमों** ने भाग लिया।
  - यह टूर्नामेंट **वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह** DFC (**विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस**) के स्मरण में आयोजित किया जाता है जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्व थे।
  - हॉकी के प्रति अर्जन सिंह का अतुलनीय जुनून तथा सैन्य एवं खेल दोनों क्षेत्रों में प्रेरणादायक नेतृत्व, प्रेरक रहा है।
- **अंतिम खेल:**
  - फाइनल मैच **भारतीय रेलवे और रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला** के बीच हुआ।
  - भारतीय रेलवे ने 2 गोल की बराबरी के बाद टाई-ब्रेकर में 3-1 से जीत हासिल की।
- **पुरस्कार:**
  - इस क्रम में एक भव्य पुरस्कार समारोह के दौरान पदक, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार प्रदान किये गए।
    - विजेताओं को 3,00,000/- रुपए मिले
    - उपविजेताओं को 2,00,000/- रुपए मिले
  - प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को भी उनके योगदान के लिये सम्मानित किया गया।

वायुसेना मार्शल अर्जन सिंह

- उनका **जन्म वर्ष 1919** में लायलपुर (अब पाकिस्तान में) में हुआ था। उन्हें **वर्ष 1939 में रॉयल इंडियन एयर फोर्स में शामिल** किया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा अभियान में उनकी भूमिका के लिये उन्हें **विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस** (DFC) से सम्मानित किया गया था।
  - वह वर्ष 1964 में 44 वर्ष की आयु में **वायु सेना प्रमुख** बने।
- **वर्ष 1965 के भारत-पाक युद्ध** के दौरान, उनके निर्णायक नेतृत्व से **भारतीय वायुसेना ने अखनूर में पाकिस्तान के आक्रमण** को अप्रभावी बनाया, जिसके लिये उन्हें **पद्म विभूषण** से सम्मानित किया गया।
- वर्ष 2002 में वह **वायुसेना के मार्शल की फाइव स्टार रैंक** से सम्मानित होने वाले **एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी** बने।
- सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने दिल्ली के **राजदूत** और **उपराज्यपाल** के रूप में कार्य किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारतीय वायु सेना

- **पृष्ठभूमि:**
  - **भारतीय वायु सेना** की स्थापना वर्ष 1932 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ युद्ध में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स की सहायता हेतु की गई थी।
    - जापानी सेना को भारत में आगे बढ़ने से रोकने के लिये भारतीय वायुसेना का उपयोग बर्मा में जापानी ठिकानों को निशाना बनाने के लिये किया गया।
  - वर्ष 1945 में किंग जॉर्ज VI ने IAF की उपलब्धियों के सम्मान में इसको **"रॉयल" टाइटल** प्रदान किया। **वर्ष 1950 में भारत के गणतंत्र** बनने के बाद, इस मानद टाइटल को समाप्त कर दिया गया।
  - देश की स्वतंत्रता के बाद **वर्ष 1950 में इसका नाम भारतीय वायु सेना** के रूप में विकसित हुआ।
- **परिचय:**
  - भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं।
  - **विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना,** भारतीय वायु सेना है।
  - **मुख्यालय:** नई दिल्ली
  - भारतीय वायु सेना का आदर्श वाक्य: **गौरव के साथ आकाश को छूना।**
    - यह **भगवद्गीता के ग्यारहवें अध्याय** से लिया गया है।
  - वायु सेना प्रमुख, **एयर चीफ मार्शल,** वायु सेना की परिचालन कमान के लिये उत्तरदायी होता है।

हरियाणा एआई विकास परियोजना

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने **हरियाणा एआई विकास परियोजना (HAIDP) और वर्ष** 2025-28 के लिये 474.39 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ एक **विशेष प्रयोजन वाहन (SPV)** के गठन की योजना बनाई है।

मुख्य बिंदु

- **परियोजना के बारे में:**
  - राज्य सरकार का लक्ष्य हरियाणा को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विकास के लिये राष्ट्रीय केंद्र में परिवर्तित करना है।
    - **यह परियोजना तीन वर्षों** (2025-2028) के लिये क्रियान्वित की जाएगी।
    - कुल परिव्यय को विश्व बैंक **और हरियाणा सरकार द्वारा 70:30 के अनुपात में वित्त पोषित किया जायेगा।**
- **प्रमुख सुविधाएँ:**
  - **गुरुग्राम में** ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर (GAIC) की स्थापना की गई है।
    - पंचकूला में हरियाणा उन्नत कंप्यूटिंग सुविधा (HACF)।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **कौशल विकास केंद्र:**
  - **इस परियोजना का उद्देश्य एआई, मशीन लर्निंग और** डाटा साइंस जैसे क्षेत्रों में 50,000 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित करना और उन्हें आगे बढ़ाना है।
  - HAIDP का उद्देश्य **सार्वजनिक प्रशासन में एआई को एकीकृत करना** तथा सरकारी विभागों में डाटा-संचालित सेवा वितरण को बढ़ाना है।
- **स्टार्ट-अप और नवाचार के लिये समर्थन:**
  - यह परियोजना इनक्यूबेशन, मार्गदर्शन और साझा कंप्यूटिंग अवसंरचना प्रदान करके स्टार्ट-अप, **अनुसंधान एवं विकास तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देगी।**

विश्व बैंक

- **परिचय**
  - विश्व बैंक एक **वैश्विक विकास सहकारी संस्था** है, जिसमें 189 सदस्य देश हैं।
  - इन देशों या शेयरधारकों का प्रशासन एक **बोर्ड ऑफ गवर्नर्स** द्वारा किया जाता है, जो आमतौर पर वित्त या विकास मंत्रियों से निर्मित होता है।
  - बोर्ड की बैठक प्रतिवर्ष नीति निर्धारण और वैश्विक विकास में संस्था के कार्यों की देखरेख के लिये होती है।
- **मिशन एवं कार्य:**
  - विश्व बैंक का लक्ष्य **गरीबी को कम करना** एवं साझा समृद्धि को बढ़ावा देना है।
  - यह देशों को जटिल विकास चुनौतियों से निपटने में सहायता प्रदान करने के लिये **वित्तीय उत्पाद, तकनीकी सहायता** और **नीतिगत सलाह** प्रदान करता है।
  - विश्व बैंक प्रभाव को अधिकतम करने के लिये बहुपक्षीय संस्थाओं, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र के अभिकर्त्ताओं एवं संस्थाओं के साथ सहयोग करता है।
  - विश्व बैंक ने **शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचे एवं पर्यावरणीय स्थिरता** जैसे क्षेत्रों में 15,000 से अधिक परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है।
    - भारत में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कुछ परियोजनाएँ हैं, **भारत ऊर्जा दक्षता स्केल-अप कार्यक्रम, संकल्प, MSME प्रदर्शन में वृद्धि एवं तेज़ी (RAMP), ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर**,एवं मुंबई शहरी परिवहन परियोजनाएँ आदि।

भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का स्थान लिया।

मुख्य बिंदु

- **सेवानिवृत्ति:**
  - CJI संजीव खन्ना **13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हुए, जिससे सर्वोच्च न्यायालय** के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उन्होंने 10 नवंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया और **छह महीने तक शीर्ष पद पर कार्य किया।**

- **न्यायमूर्ति बीआर गवई द्वारा दिये गए प्रमुख निर्णय:** उन्होंने वर्ष 2016 की नोटबंदी **को** बरकरार रखा और वे उस पीठ का हिस्सा थे, जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त **करने को बरकरार रखा।**
  - वह उस संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने चुनावी बॉण्ड योजना **को रद्द कर दिया था** *(एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ)*।
  - **पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) मामले** में, उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई में "वास्तविक समानता" सुनिश्चित करने के लिये **एससी/एसटी पर** क्रीमी लेयर सिद्धांत **लागू करने की वकालत की।**

- **मुख्य न्यायाधीश से संबंधित प्रमुख प्रावधान:**
  - **नियुक्ति: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति** राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के अंतर्गत की जाती है। परंपरा के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के **सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को** CJI के रूप में नामित किया जाता है।
    - वरिष्ठता का मापन सर्वोच्च न्यायालय में **सेवा की अवधि के आधार पर किया जाता है।**
  - **योग्यता:** मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिये:
    - **वह भारत का नागरिक** होना चाहिये।
    - वह पाँच वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय **(या लगातार उच्च न्यायालयों)** का न्यायाधीश रहा हो ; या
    - **वह किसी उच्च न्यायालय (या लगातार उच्च न्यायालयों) में दस वर्ष तक अधिवक्ता** रहा हो;
    - राष्ट्रपति की राय में उन्हें **एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिये।**
  - **मुख्य न्यायाधीश की भूमिका: "रोस्टर के मास्टर"** के रूप में मुख्य न्यायाधीश के पास विशिष्ट मामलों को विशेष पीठों को सौंपने तथा सर्वोच्च न्यायालय में उनकी सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित करने का अधिकार होता है।
    - **सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय** में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये राष्ट्रपति द्वारा **मुख्य न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के** कॉलेजियम **के साथ)** से परामर्श किया जाता है।
    - मुख्य न्यायाधीश संविधान के **अनुच्छेद 127 के** तहत **सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।**
    - **राष्ट्रपति की स्वीकृति** से मुख्य न्यायाधीश **सर्वोच्च न्यायालय की सीट को** दिल्ली से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं।
  - **निष्कासन:** मुख्य न्यायाधीश को **राष्ट्रपति द्वारा तभी हटाया जा सकता है जब संसद दोनों सदनों में विशेष बहुमत** (कुल सदस्यों का बहुमत तथा **उपस्थित और मतदान करने वालों में से कम-से-कम दो-तिहाई**) द्वारा समर्थित अभिभाषण प्रस्तुत करे।

हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के प्रयास

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या **पर अंकुश लगाने तथा** 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत उपायों को मज़बूत करने लिये एक बैठक आयोजित की गई।

मुख्य बिंदु

- **ज़िला स्तरीय समितियों का गठन:**
  - ज़िला स्तरीय स्थायी समितियों का गठन किया गया है, जिनके अध्यक्ष उपायुक्त (DC) हैं तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ये समितियाँ राज्य के लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से कड़ी निगरानी और बेहतर समन्वय के लिये ज़िम्मेदार हैं।

- **नियमित निगरानी और निरीक्षण:**
  - **समितियाँ साप्ताहिक बैठकें** आयोजित करेंगी ताकि
    - **चिकित्सीय गर्भपात (MTP)** किटों की बिक्री पर रिपोर्ट की समीक्षा की जा सके।
    - **अवैध लिंग निर्धारण को** रोकने के लिये अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण किया जा सके।
    - कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिये रणनीति तैयार की जा सके।
- **कानूनी कार्रवाई और अनुशासनात्मक उपाय:**
  - लिंग-चयनात्मक गर्भपात में संलिप्त पाए जाने वाले डॉक्टरों पर हरियाणा मेडिकल काउंसिल द्वारा मेडिकल लाइसेंस रद्द करने सहित **कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।**
  - 12 सप्ताह से अधिक के सभी गर्भपातों की, विशेषकर जब दंपति की पहले से ही बेटियाँ हों, सिविल सर्जनों द्वारा **गहन जाँच की जाएगी।**
- **प्रारंभिक गर्भावस्था पंजीकरण:** स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह शीघ्र ट्रैकिंग और सहायता के लिये 10 सप्ताह से पहले प्रत्येक गर्भावस्था का प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) पंजीकरण सुनिश्चित करे।
- **'सहेलियों' के माध्यम से व्यक्तिगत सहायता:** एक या एक से अधिक लड़कियों वाली गर्भवती महिलाओं को परामर्श और निगरानी के लिये **आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को 'सहेली'** के रूप में नियुक्त किया जाता है।
  - यदि कोई आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता अवैध गर्भपात में संलिप्त पाई गई तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- **जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता:**
  - **ज़िला प्रशासन** सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान का विस्तार करेंगे।
  - लैंगिक समानता और बालिकाओं के महत्त्व को बढ़ावा देने के लिये धार्मिक और सामुदायिक नेताओं को शामिल किया जाएगा।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना

- इसे लिंग-चयनात्मक गर्भपात से निपटने और घटते बाल लिंग अनुपात (2011 में प्रति 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियाँ) में सुधार लाने के लिये जनवरी 2015 में शुरू किया गया था।
- यह योजना महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों की संयुक्त पहल है।
- 405 ज़िलों में क्रियान्वित इस योजना का **मुख्य उद्देश्य लिंग-पक्षपाती लिंग चयन को रोकना,** लड़कियों का अस्तित्व और संरक्षण सुनिश्चित करना, उनकी **शिक्षा** और भागीदारी को बढ़ावा देना तथा उनके अधिकारों की रक्षा करना है।

पराली जलाने से निपटने के लिये CAQM की कार्य योजना

चर्चा में क्यों?

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पंजाब, **हरियाणा और उत्तर प्रदेश को ज़िला और ब्लॉक स्तर** पर 'पराली संरक्षण बल' स्थापित करने का निर्देश दिया है।

मुख्य बिंदु

- **पराली सुरक्षा बल के बारे में:**
  - इसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में **ज़िला/ब्लॉक स्तर** पर स्थापित किया जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इसमें **पुलिस अधिकारी, कृषि अधिकारी और स्थानीय अधिकारी** शामिल होंगे।
- **इसे धान की** पराली जलाने की घटनाओं की **निगरानी और रोकथाम का** कार्य सौंपा गया।

- **उन्नत निगरानी उपाय:**
  - प्रभावी निगरानी और सहायता के लिये **50 किसानों के प्रत्येक समूह को समर्पित नोडल अधिकारी** नियुक्त किये जाएंगे।
  - **उल्लंघन करने वाले किसानों के भूमि अभिलेखों में लाल प्रविष्टियाँ** दर्ज की जाएंगी।
  - **पराली जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना** लगाया जाएगा।
- **प्रौद्योगिकी और फार्म मानचित्रण:**
  - गाँवों के सभी **खेतों का मानचित्रण किया जाएगा ताकि पराली प्रबंधन, फसल विविधीकरण और चारे के रूप में उपयोग** जैसी उपयुक्त विधियों का आकलन किया जा सके।
  - धान के अवशेषों के **उत्पादन, भंडारण और उपयोग पर नज़र रखने के लिये** एक **वास्तविक समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म** विकसित किया जाएगा।
- **मशीनरी समीक्षा और समर्थन:**
  - राज्य **मौजूदा फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनों की समीक्षा करेंगे।**
    - अगस्त 2025 तक गैर-कार्यात्मक मशीनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा और वर्तमान उपकरणों की कमी का विश्लेषण किया जाएगा तथा नई मशीनें खरीदी जाएंगी।
  - **छोटे और सीमांत किसानों** के लिये **कस्टम हायरिंग केंद्रों** के माध्यम से मशीनों का **निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।**
- **भूसा भंडारण के लिये बुनियादी ढाँचा:**
  - राज्यों को **पंचायत या सरकारी भूमि का** उपयोग करके **भंडारण सुविधाएँ बनानी होंगी।**
- **जैव ऊर्जा और खाद बनाने** में धान की पराली के **संग्रहण, भंडारण और उपयोग** के लिये **ज़िला स्तरीय आपूर्ति शृंखला** विकसित करना।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

- **परिचय**
  - वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) एक **वैधानिक निकाय** है, जिसे **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021** के अंतर्गत गठित किया गया है।
  - इसका गठन विशेष रूप से **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR)** एवं इससे लगे राज्यों – **पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान** में वायु प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से किया गया।
  - यह **वायु गुणवत्ता सूचकांक** से जुड़ी समस्याओं की **पहचान, अनुसंधान, समन्वय और समाधान** सुनिश्चित करता है तथा NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के कारणों एवं प्रभावों का समग्र प्रबंधन करता है।
- **संरचना:** आयोग की संरचना में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:
  - एक **अध्यक्ष**
  - केंद्र सरकार के दो **संयुक्त सचिव**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- वायु प्रदूषण के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले **तीन स्वतंत्र तकनीकी सदस्य**
- **तीन गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि**

- कार्य:
  - दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा की गई कार्रवाइयों का **समन्वय** करना।
  - वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये **योजनाएँ बनाना और लागू करना**।
  - वायु प्रदूषकों की पहचान हेतु **रूपरेखा तैयार करना**।
  - तकनीकी संस्थानों के साथ **अनुसंधान और विकास में सहयोग** करना।
  - वायु प्रदूषण प्रबंधन हेतु **विशेष कार्यबल का गठन और प्रशिक्षण**।
  - **वृक्षारोपण** बढ़ाने और **पराली जलाने** की समस्या के समाधान हेतु कार्य योजनाएँ तैयार करना।

पराली जलाना

- **पराली जलाना धान की फसल के अवशेषों को** खेत से **हटाने** की एक विधि है, जिसका उपयोग **सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर तक गेहूँ की बुवाई के लिये किया जाता है,** जो दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के साथ ही होता है।
- पराली जलाना धान, गेहूँ आदि जैसे अनाज की कटाई के बाद बचे **पुआल के ठूंठ को आग लगाने की एक प्रक्रिया है**। आमतौर पर इसकी आवश्यकता उन क्षेत्रों में होती है जहाँ संयुक्त कटाई पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिससे फसल अवशेष बच जाते हैं।

इंडियन ग्रे वुल्फ

चर्चा में क्यों?

इंडियन ग्रे वुल्फ (*कैनिस लूपस पैलिप्स*) हाल ही में दिल्ली में यमुना के बाढ़ के मैदानों के पास देखा गया, जो **1940 के दशक के बाद पहली बार** दर्ज किया गया **दृश्य है।**

- **इसे दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के त्रि-जंक्शन** पर यमुना नदी के तट पर स्थित पल्ला गाँव में देखा गया।

मुख्य बिंदु

- **भारतीय ग्रे वुल्फ के बारे में:**
  - भारतीय ग्रे वुल्फ, **ग्रे वुल्फ** की एक **उप-प्रजाति** है जो भारतीय उपमहाद्वीप और **दक्षिण-पश्चिम एशिया** में पाई जाती है।
  - यह **रात्रिचर** तथा एक **शीर्ष शिकारी है,** जो **छोटे समूहों में शिकार करता है** तथा अन्य भेड़िया उप-प्रजातियों की तुलना में **कम मुखर होता है।**
- **आकृति:**
  - **कैनिडे परिवार** के इस **मांसाहारी** वुल्फ की लंबाई में **नर में 100-130 सेमी** और **मादा में 87-117 सेमी होती है।**
  - यह आकार में **तिब्बती** और **अरब भेड़ियों** के बीच का होता है तथा इसकी **खाल मोटी नहीं होती**, जिससे यह **गर्म जलवायु** में स्वयं को आसानी से **अनुकूलित** कर लेता है।
- **आवास एवं वितरण:**
  - इसकी उपस्थिति **पश्चिम में इज़रायल से लेकर पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप** तक फैली है। यह मुख्यत: **झाड़ीनुमा भू-भागों, घास के मैदानों, पशुपालन आधारित कृषि-तंत्रों और अर्ध-शुष्क कृषि-तंत्रों** में पाया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ◆ **महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश** सहित कई अन्य राज्यों में इनका अस्तित्व पाया जाता है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
    - ◆ CITES: परिशिष्ट I
    - ◆ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I

बांकापुर भेड़िया अभयारण्य

- यह कर्नाटक में स्थित है और यह झारखंड में महुआदानर भेड़िया अभयारण्य (1976 में स्थापित) के बाद **भारत का दूसरा संरक्षित क्षेत्र है, जो पूरी तरह से भेड़ियों को समर्पित है।**
- यह 332 हेक्टेयर में फैला हुआ है और **इसमें झाड़ीदार जंगल, पहाड़ियाँ तथा** भेड़ियों के निवास के लिये उपयुक्त प्राकृतिक गुफाएँ हैं।

✦ ✦ ✦ ✦

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :